

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.1571 / 2004  
संस्थित दिनांक-29.12.2004  
फाईलिंग क.234503000192004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन  
// विरुद्ध //

1-प्रेमसागर बाई पति रमेश, उम्र-42 वर्ष,  
निवासी-ग्राम पथराटोला, (विनसाटोला) मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

2-भागवतीबाई पति मंडलाल उर्फ रंगलाल, उम्र-52 वर्ष,  
निवासी-ग्राम पथराटोला, (विनसाटोला) मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

3-झुनियाबाई पति नन्हेलाल, उम्र-57 वर्ष,  
निवासी-ग्राम पथराटोला, (विनसाटोला) मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- आरोपीगण  
-----  
// निर्णय //

(आज दिनांक-27/06/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-11.11.2004 को 11:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पथराटोला में फरियादी उपेन्द्र झारी जो कि लोक सेवक है तथा लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने या भयोप्रद करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-11.11.2004 को थाना मलाजखण्ड से आरक्षक किशोर कुमार, शारदा बनोटे, टीकमचंद व सैनिक पुरुषोत्तम अवैध शराब की जांच के लिए गए थे। ग्राम पथराटोला में रमेश मड़ावी के घर के पास अवैध भट्टी में शराब बनाई जा रही थी। पुलिस देखकर गांव के लोग वहां से भग गए। मौके पर पुलिसकर्मियों द्वारा जब कार्यवाही की जा रही थी तब तीन महिलाएं चिल्लाते हुए आई और कहा कि यदि शराब पकड़ी तो ठीक नहीं होगा। इस प्रकार तीनों महिलाओं ने पुलिस बल

के साथ झूमाझपटी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। बाद में तीनों महिलाओं के विषय में जानकारी हुई तो वे महिलाएं रमेश की पत्नी, नन्हें की पत्नी व मंडई की पत्नी थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-150/04, अंतर्गत धारा-353 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-11.11.2004 को 11:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पथराटोला में फरियादी उपेन्द्र झारी जो कि लोक सेवक है तथा लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने या भयोप्रद करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी पुरुषोत्तम (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देन के 5-6 वर्ष पूर्व की है। वह उपेन्द्र झारी निरीक्षक के साथ ग्राम पथराटोला गया था, जहां आरोपीगण ने कहा था कि वे लोग उनके घर से शराब नहीं पकड़ सकते और उन लोग ने शासकीय कार्य में बाधा डाली। इसके बाद वे वापस आ गए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जब वह कार्यवाही के लिए गया था तो इस बात का इन्द्राज रोजनामाचा सान्हा में किया गया था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है।

6- आरक्षक के. नंद (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक-11.11.2004 की दोपहर के समय की है। वह हमराह बल के साथ छापामारी हेतु मौके पर गया था और अवैध शराब जप्त की थी, तब आरोपीगण ने विरोध कर छीनाझपटी की थी। इसके पश्चात् वे शराब वहीं छोड़कर वापस आ गए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह छापा मारने किसके घर गया था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विरोध करने 10-15 महिलाएं आई थी। बचाव पक्ष के इस

सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि अधिकारी के कहने पर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की थी।

7— डी.आर. वरकड़े (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.11.2004 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक थाना प्रभारी उपेन्द्र छारी के द्वारा आरोपी रमेश की पत्नी, नन्हे की पत्नी, मण्डई की पत्नी के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-150/04, धारा-353 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को रवानगी वापसी सान्हा में भी खुलासा है, जिसकी प्रति चालान के साथ संलग्न है। उक्त अपराध की विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक-15.11.2004 को उपेन्द्र छारी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी उपनिरीक्षक उपेन्द्र छारी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपीगण ने अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था और उसने विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैठकर की थी।

8— अभियोजन साक्षी जीवनसिंह (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-1, 2 व 3 में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह सैनिक के पद पर वर्ष 2004 में पदस्थ था, इसलिए थाने पर प्रदर्श पी-1, 2 व 3 पर किया था।

9— अभियोजन साक्षी शारदाप्रसाद (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उसे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जिन महिलाओं ने शासकीय कार्य में बाधा डाली थी, उनके नाम वह नहीं बता सकता।

10— बरतूसिंह (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही नहीं हुई थी।

अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि थाने के सिपाही द्वारा उससे गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-1, 2 व 3 पर हस्ताक्षर कराया गया था।

11— अभियोजन साक्षी टीकमचंद (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.11.2004 को आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उसे ध्यान नहीं है कि क्या हुआ था, क्योंकि घटना पुरानी हो गई है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को वह थाना प्रभारी उपेन्द्र छारी के साथ ग्राम पथराटोला गया था, जहां रमेश मड़ावी के घर के पास अवैध शराब बन रही थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि महिलाओं ने उनके शासकीय कार्य में बाधा डाली थी।

12— उपेन्द्र छारी (अ.सा.7) ने कहा है कि ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक-11.11.14 को थाना मलाजखण्ड में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। वह हमराह बल के साथ देहात गया था, तब तीन महिलाओं ने उसके शासकीय कार्य में बाधा डाली थी। उसके साथ गए लोगों ने बताया था कि महिलाएं किस-किस व्यक्तियों की पत्नियां हैं। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। घटनास्थल का मौकानक्शा उसकी निशानदेही पर बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को जब वह पथराटोला पहुंचा तो रमेश मड़ावी के घर के पास भट्टी लगी थी, जहां अवैध रूप से शराब बन रही थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि तीन महिलाओं ने शासकीय कार्य में बाधा डाली थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना दिनांक को वह घटनास्थल नहीं गया था। साक्षी ने कहा है कि वह थाने पर ही था। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह हमराह बल के साथ मौके पर गया था, वहीं प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह मौके पर नहीं गया था।

13— उल्लेखनीय है अभियोजन साक्षी उपेन्द्र छारी (अ.सा.7) द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 लेख की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण प्रेमसागर, भागवतीबाई, झुनियाबाई के नाम का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-5 में रमेश की पत्नी, नन्हें की पत्नी, मंडई की पत्नी के नाम का उल्लेख है। यदि साक्षी पुरुषोत्तम (अ.सा.3) के कथनों पर विचार किया जाए तो उसने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है, परंतु आरोपीगण के नाम उसने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट नहीं किये हैं। प्रथम सूचना



रिपोर्ट का अवलोकन से यह दर्शित है कि आरक्षक किशोर, शारदाप्रसाद तथा पुरुषोत्तम अवैध शराब की पता साजी हेतु ग्राम पथराटोला गए थे। घटना के विषय में साक्षी टीकमचंद (अ.सा.6) ने कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार मौके पर जाने वाले पुलिस बल में से दो साक्षी शारदाप्रसाद व टीकमचंद ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। विवेचक डी.आर. वरकड़े (अ.सा.8) ने विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। साक्षी का कहना है कि उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-3 को साक्षी जीवनसिंह (अ.सा.2), बरसूसिंह (अ.सा.5) ने समर्थित नहीं किया है और कहा है कि उनके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तारी नहीं हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 को लेकर उपेन्द्र छारी (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं, जहां मुख्यपरीक्षण में उसने कहा है कि घटना दिनांक को हमराह बल के साथ मौके पर गया था, वहीं प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि वह घटना दिनांक को मौके पर नहीं गया था। आरोपीगण द्वारा ही शासकीय कार्य में बाधा डाली गई थी, यह बात साक्षी के. नन्द (अ.सा.1) के कथन से प्रकट नहीं हो रही है, क्योंकि उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय 10-15 महिलाएं आ गई थी, जो शराब जप्त करने का विरोध कर रही थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र तीन महिलाओं द्वारा विरोध किया जाने का लेख है। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,  
दिनांक-27.06.2016

सही / -  
(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट